बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 27/6/19

संॅसं0–17/ए 3–01/2019 - 469(17) /स्वा0, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के **हड्डी रोग विभाग** में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–

हड्डी रोग विभाग					
बि0 स्वा0 से0					
क्र0	**नाम**	**आवेदन संख्या**	**श्रेणी**	**रोस्टर बिन्दु श्रेणी**	**नव पदस्थापन महाविद्यालय एवं अस्पताल**
1	डॉ0 चन्दन शेखर	CR201800819	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा
पी0जी0एस0					
1	डॉ0 शशांक	CR201800855	अनारक्षित	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
2	डॉ0 राकेश रामदयाल सिंह	CR201800781	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
3	डॉ0 किशोर कुणाल	CR201800851	अनारक्षित	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।
पी0जी0ओ0					
1	डॉ0 योगेश कुमार	CR201800852	अनारक्षित	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
2	डॉ0 ध्रुव कुमार	CR201800768	अनारक्षित	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा
3	डॉ0 अभिषेक पंडित	CR201800969	अनारक्षित	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
4	डॉ0 विशाल आनन्द	CR201801065	अनारक्षित	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
5	डॉ0 पंकज कुमार	CR201800249	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेंगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवेल–9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्योर अवधि के समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लागतार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नव नियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम् 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये सीनियर रेजिडेंट के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेन्ट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–17/ए 3–01/2019 – 469(17) /स्वा० पटना, दिनांक :– 27/6/19

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/मुंगेर प्रमण्डल/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव (कौशल किशोर) के आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17/प्रशाखा पदाधिकारी–01,02,08,09 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0/टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/06/19

सरकार के अवर सचिव।